International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 10 Issue 5, September-October, 2022, Impact Factor: 7.326

प्राचीन भारत में अपराध एवं दण्ड प्रावधान विशेषकर मौर्य एवं गुप्त काल में: समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. नीलम रानी[1], मनु देव[2]

[1]सह आचार्य, इतिहास विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविधायालय, रोहतक
[2]शोध छात्र, इतिहास विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविधायालय, रोहतक

सार

अपराध जगत केवल आज की सामाजिक समस्याओं में से एक बड़ी समस्या ही नहीं, अपितु यह समस्या चिर कालिक समस्या है। प्राचीन भारत में भी अपराध का स्वरुप एक व्यापक स्तर पर था तथा कालांतर यह समस्या और भी जटिल होती गई थी। प्रस्तुत शोध पत्र में प्राचीन भारत में अपराधिक मामलों में जो दण्ड देने के प्रावधान थे, उनकी समीक्षा की गई है। यह पत्र, विभिन्न प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित दस्तावेजों, शोध पत्रों एवं गोष्ठियों के सार के आधार पर विशेषकर मौर्य एवं गुप्त काल में होने वाले अपराध व शासकों द्वारा निर्धारित दण्डों की समीक्षा की गई है।

कुंजी शब्द : प्राचीन काल , सामाजिक समस्याएं, अपराधिक मामले, दण्ड विधान, समीक्षा।

परिचय

दण्ड विधान प्रत्येक कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग रहा है। दण्ड व्यवस्था के प्रावधान का न्याय प्रणाली के सिंहावलोकन करने पर यह पता चलता है; कि प्राचीन भारत में बड़ी कड़ी व्यवस्था रही होगी। विभिन्न पुस्तकों व प्रकाशित लेखों से यह प्रतीत होता है; कि समय के अनुसार दण्ड व्यवस्था में एक प्रकार से 'निरन्तरता एवं परिवर्तन' का आभास होता है। प्राचीन काल भारत में जो अपराधों के लिए दण्ड व्यवस्था थी; वो व्यवस्था, आज भी कई अरब देशो द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। इन दण्ड व्यवस्थाओं में आज के सन्दर्भ में अगर देखा जाए तो; कोई विशेष परिर्वतन नहीं आया है।(वर्दमान, पर्नब 1997)

मनु स्मृति के अनुसार, "दण्ड का प्रावधान हिन्दू प्रणाली के अन्तर्गत वह कानूनी प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत वह दण्ड–निर्देशन आते हैं, जो दण्ड की प्रक्रिया को भली–भाँति समझने में सहायक सिद्ध हो सके"(मनुस्मृति का बूहलर द्वारा अनुवाद)। इस सन्दर्भ में, मनु कहता है; कि वह इस पवित्र कानून सम्बन्धी संस्थान से यह सीखा है, कि दण्ड के नियम बनाने वाले ने, विभिन्न विषयों की अवधारणा

को लेकर दण्ड विधान प्रतिपोदन किया था। (मनु स्मृति का पवित्र कानून (sacred law) प्राचीन हिन्दू कानून 1,58)

कौटिल्य के अनुसार; समाज और राज्य के बिना कोई न्याय नहीं है। कौटिल्य ने पूरी न्याय प्रणाली का विकास किया, उन न्याय व दण्ड व्यवस्था प्रणाली की प्रासंगिता आज भी होती है। कौटिल्य के अनुसार; यह एक प्रभावशाली दण्ड व्यवस्था है; जो प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जाती है; जो पूर्णरूप से सभी को मान्य होती है। दूसरे, कोटिल्य ने यह तर्क दिया था; कि उच्च स्तर पर दण्ड प्रक्रिया; उतनी प्रभावशाली नहीं होती; जितनी कि निम्न सतर की दण्ड व्यवस्था का प्रावधान। तीसरे, कोटिल्य इस बात को भली–भांति समझता है; कि अपराध को साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने की प्रक्रिया में; आरोपी को निष्पक्ष रुप से न्याय दिलाना व उसको दोषी या निर्दोष सिद्ध करना अति आवश्यक है। पांचवा, द्रष्टिकोण इस बात की पुष्टि करता है; कि आर्थिक विकास;भ्रष्ट लोगों द्वारा अधिक रूप में प्रभावी होता है।(कोटिल्य, 4th B.C)

तीसरी शताब्दी में, कौटिल्य के अनुसार, यह दण्ड देने की वह शक्ति है जो अपराध के अनुसार, बिना पक्षपात के दण्ड दिया जाता है; चाहे वह राजा का पुत्र हो या शत्रु हो; यह समस्त सृष्टि और इससे आगे भी (कौटिल्य, पृ. 377) कोटिल्य द्वारा रचित, अर्थशास्त्र, जिसका अर्थ "धन का विज्ञान" भी कहा जाता है; जिसके अन्तर्गत; मुख्य तीन मुद्दों को लेकर व्यवस्था की गई है। इन तीनों मुद्दों में आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय प्रणाली की प्रशासनिक व्यवस्था तथा विदेश सम्बन्धी मुद्दों की व्याख्या की गई है। कोटिल्य का योगदान; मुख्य रूप से कानून व्यवस्था को बनाने के लिये; मुख्य रूप में जाना जाता है।

कोटिल्य के अनुसार, उचित कानून व्यवस्था; किसी स्थान के आर्थिक वृद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक है। (कौटिल्य, विष्णुगुप्त 4th century B.C)

कौटिल्य के अनुसार; किसी अपराधी का अपराध के लिए निर्धारण करना; न्यायाधीश की विवेकशीलता पर निर्भर करता है। किसी भी अपराधी के लिए दण्ड के लिए धर्मशास्त्र में दिशा निर्देश की व्याख्या करता है। धर्मशास्त्र के अनुसार, अपराधियों को दण्ड दिया जाता था (सिहाग,2004)

प्राचीन काल में दण्ड प्रक्रिया :

प्राचीन काल में दीवानी व फौजदारी मुकदमों में प्रथक–प्रथक दण्ड प्रावधान था। मनुस्मृति के अनुसार, दीवानी अपराधों को 18 श्रेणियों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है :–

1. कर्जे की अदायगी न करना
2. जमा पूंजी
3. बिना अधिकारीत बिक्री
4. भागीदारी में आपसी झगड़े

5. भेंट सम्बन्धी मुद्दे
6. मजदूरी के भुगतान सम्बन्धित मुद्दे
7. बिना उत्पादकता से सम्बन्धित आपसी समझौते सम्बन्धी मुद्दे
8. क्रय–विक्रय सम्बन्धी बाटों का निपटान
9. पशुओं पर मालिकाना हक
10. उनके सम्बन्धित सेवादार
11. सीमा से सम्बन्धित विवाद
12. मारपीट
13. बदनाम करना
14. डाका एवं हिंसा
15. व्याभिचार
16. पति व पत्नी की कर्तव्य निष्ठा
17. बंटवारा
18. जुआ खेलना इत्यादि (सेन, एन. सी. 1953)

ये सभी दीवानी अपराध; कानून अनुसार न्यायालय में निपटाए जाते थे। सभी प्रकार की हिंसा, चोरी तथा व्याभाचार, बदनाम करना, केवल साक्ष्य पर ही निर्भर करता था। इन अपराधों में केवल साक्ष्य के अनुसार; न्याय किये जाते थे।

दण्डों की प्रकृति :-

दण्ड की प्रकृति हिन्दू दण्ड विधान में बड़ी अद्वितीय होती थी। मानव सुरक्षा हेतु, राजा होता था। दण्ड का प्रावधान एक उच्च स्थान रखता था, जो सभी बातों की शक्तियों को समेटे रखता था। हिन्दुत्व में, दण्डों के परिपेक्ष में, यह बात गरूड़ पुरान से स्पष्ट हो जाती है; कि किस अपराधी को किस प्रकार की सजा दी जाये। गरूड़ पुराण 800 से 1000 बी. सी. के बीच लिखा गया था, जिसे वैश्नव पुराण के नाम से भी जाना जाता है।

पुरातन काल में दण्ड बड़े ही अमानवीय ढंग से यातना देकर दी जाती थी। इन दण्डों में मुख्य इस प्रकार हैं:–

गरूड़ पुराण	बदचलनी असामाजिक कार्य	दण्ड प्रावधान
कुम्भीपाकम	भोजन के लिए निर्दोष जीवों की हत्या।	यम क्रींस द्वारा गर्म तेल में तलना
थमिश्रा	दूसरों की सम्पत्ति चुराना जिसमें दूसरों की पत्नी, बच्चे तथा वस्तुए	शारीरिक दण्ड देना

अग्निकुण्ड	बल पूर्वक किसी की सम्पत्ति छीनना, कानून का उलंघन करके; किसी बात का लाभ उठाना।	अग्निकुण्ड में उल्टा लटकाना तथा पीछे से हाथ व पांव बांधना।
क्रिमीभोजनम	स्वार्थ की भावना से, किसी द्वारा अपना काम निकलवाना।	शरीर पर कीड़े छोड़ देना; ताकि दण्ड के रुप में वह कीड़े अपना भोजन बना सकें।
सनमाली	कुमुकस द्वारा अपवित्र सम्बन्ध बनाना।	कीड़ों के कुण्ड में धकेलना।

हिन्दु संहिता के अनुसार; जो कि बनारस के ब्रह्मणों द्वारा संकलित की गई थी।, जिसे गेन्टू संहिता के नाम से भी जाना जाता था, जिसके अन्तर्गत शुल्क से लेकर मृत्युदण्ड तक का प्रावधान दिया है; जो इस प्रकार है–(पुष्पेन्द्र कुमार, 1989)

1. मृत्युदण्ड :–

प्राचीन काल में मृत्यु दण्ड का प्रावधान था। मानव हत्या के लिये मृत्युदण्ड का प्रावधान था। जिसमें फांसी के अतिरिक्त अपराधी को पत्थरों से मार– मार कर; सामुहीक पत्थर मारो द्वारा; मार दिया जाता था। इसके अतिरिक्त, अपराधी के हाथ– पैर बांधकर, एक पिंजरे में बंद कर कर दिया जाता था; ताकि वह कहीं हिल डुल न सके। इस प्रकार के दण्ड 19वीं शताब्दी तक प्रचलित थे। मृत्युदण्ड का एक और प्रावधान था; जो अपराधी को दीवार में चिनवा दिया जाता था। मृत्युदण्ड के लिए हाथी के पैर द्वारा कुचलवाया जाता था।(सोनिया बल्हारा, 2021)।

2. शारीरिक यातनाएं :–

प्राचीन काल में कठोर शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, जिसमें शरीर को नग्न करके; कोड़े मारे जाते थे। इस प्रकार के दण्ड का प्रचलन सन् 1955 में समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार का दण्ड प्रावधान; आज भी अरब देशों में प्रचलित है। इन शारिरिक यातनाओ में शरीर के किसी अंग का काटना (Multilation) में शामिल किया गया है। किसी अंग को काटने का दण्ड प्रायः यौन सम्बन्धी अपराध में दिये जाते थे। भगवान की निंदा करने पर जीभ का काटना; एक आम बात हुआ करती थी। (राधेश्याम चौधरी,1947)

इन शारिरिक यातनाओं में, शरीर के मांस पर एक ठप्पा लगा दिया जाता था। जिसे लोहा गर्म कर ठप्पा लगाना (Branding) कहा जाता था; जहां यह ठप्पा, भली भांति लोगों को दृष्टि गोचर हो सके। इस के अतरिक्त शरीर को लोहे की गर्म सरिये से दागना; शारिरिक यातना का ही भाग होता था। प्राचीन काल में सश्रम कारागार में डाल दिया जाता था। इसके अतरिक्त; अपराधी को हाथ पैर बांधकर; सूखे कुएं में डाल दिया जाता था। (काने, पी. वी. 1968)

3. सामाजिक दण्ड प्रावधान:-

सामाजिक दण्ड प्रावधान में पुरातन काल में, किसी अपराधी को दूर भेज दिया जाता था। इन अपराधियों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। जैसे अपराधी का हुक्का पानी बन्द करना। इसके अन्तर्गत अपराधी लोगों की किसी प्रकार की क्रिया कलापों में भाग नहीं ले सकता था।

4. आर्थिक दण्ड :-

इस दण्ड के अन्तर्गत; भारी जुर्माना इत्यादि लगाने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त मुवावजे के रुप में धन राशी देना। (प्राचीन भारत कानून व्यवस्था, 2020)

निष्कर्ष :-

प्राचीन भारत विशेषकर मौर्य एवं गुप्त काल में विभिन्न दण्ड प्रावधानों का प्रयत्न किया जाता था। प्राचीन भारत में; दण्ड मनुस्मृति के अनुसार दिये जाते थे। यह दण्ड अपराध की गंभीरता के आधार पर दिये जाते थे। क्योंकि प्राचीन भारत में लगभग सभी दण्डों में अमानवीय दण्डों का प्रयोग किया जाता था। जैसा कि मौर्य काल में; कोटिल्य द्वारा प्रत्येक दण्ड विधान की व्याख्या अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में की है। ये सभी दण्ड प्रावधान; याद्यपि अपराध की गम्भीरता के अनुसार ही होते थे, परन्तु दण्डों की प्रवृति बहुत ही अमानवीय होती थी। मौर्य काल में एक जैसे अपराध के दण्ड की व्याख्या अलग जाति के आधार पर निर्धारित होती थी; जो न्यायपूर्ण नहीं थी। ये सब सभी प्रकार की शारीरिक सजीऐ; मानव अधिकारों का सरासर उलंघन करती थी। प्राचीन काल में दण्ड विधान कठोर होने पर भी अपराध होते थे, जिसके फल–स्वरूप अपराधियों को यातनाएं; झेलनी पड़ती थी। अतः प्राचीन काल के ग्रंथो; जैसे मनु स्मृति, अर्थशास्त्र एवं अन्य पांडूलिपियों की समीक्षा; करने पर यह स्पष्ट हो जाता है; कि प्राचीन भारत में; विशेषकर मौर्य काल तथा गुप्त काल में अपराधियों के लिए; बहुत ही कठोर दण्ड प्रावधान थे।

सन्दर्भ ग्रन्थ

[1]. बर्दमान, पर्नब (1997) भ्रष्ठाचार व विकास : एक समीक्षा 'Journal of Economic Literature',35 (September) p.p 1320 – 1346.
[2]. कोटिल्य, विष्णु गुप्ता (चौथी B.C) कोटिल्य अर्थशास्त्र, भाग– प्रथम, संस्कृत संस्करण; मोती लाल बनारसीदास प्रकाशक, नई दिल्ली,(2000).
[3]. पुष्पेन्द्र कुमार (1989) , 'कोटिल्य का अर्थशास्त्र : एक मूल्यांकन' नाग प्रकाशन, नई दिल्ली।
[4]. बलबीर सिहाग (2004) , 'प्राचीन भारत में नैतिकता का मूल्यांकन' इतिहासकारो का जनरल, 31, दिसम्बर 2004, पृष्ठ 124–148।

[5]. सेन, एन. सी. (1953), ‘ प्राचीन भारत के कानून के विकास का इतिहास’ पृष्ठ.11।
[6]. काने पी. वी.(1968), ‘धर्मशास्त्र का इतिहास' vol,1,part 1, पृष्ठ 1।
[7]. सोनिया बल्हारा (2019), ‘भारत में दण्डों का इतिहास’ पलीर्डज, जनवरी 4,2021।
[8]. चौधरी, राधे श्याम (1947), 'प्राचीन भारत में दण्डों का सिद्धान्त’ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस vol.10(1947) p.p 166–171.